

05.07.22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण

ईकतरफा। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा सरका पार पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1144/741 रकबा 10.11 बीघा, खसरा संख्या 1155/691 रकबा 05.03 बीघा, खसरा संख्या 1156/691 रकबा 02.09 बीघा कुल रकबा 18.03 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की ~~10.11 बीघा खसरा संख्या 1155/691 रकबा 05.03 बीघा खसरा~~ नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा सरका पार पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1144/741 रकबा 10.11 बीघा, खसरा संख्या 1155/691 रकबा 05.03 बीघा, खसरा संख्या 1156/691 रकबा 02.09 बीघा कुल रकबा 18.03 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी बाडमेर